सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर
पिन:-272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः251/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनांकः17/09/2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– **उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी ई–कन्टेन्ट्स हेतु केन्द्रीयकृत पोर्टल पर ई–कन्टेन्ट अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 राज्य में छात्रों के पठन–पाठन तथा शिक्षकों के शिक्षण कार्य को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की गुणवत्ता उत्कृष्ट बनी रहे, के दृष्टिगत उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 1511/सत्तर–3–2020–08(27)/2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी ई–कन्टेन्ट्स हेतु केन्द्रीयकृत पोर्टल शासन द्वारा निर्मित किया जा रहा है।

शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालयों को उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निम्नलिखित प्रकिया का पालन करना है–

क– समस्त महाविद्यालयों में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा परखी जायेगी एवं अनुमोदित की जायेगी। तदुपरान्त प्राचार्य द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 का प्रयोग करते हुये उसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

ख– महाविद्यालयों को लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त न होने तक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया निम्नवत् होगी:–

2– प्राध्यापक द्वारा विकसित ई–कन्टेंट को अपनी सम्बद्ध यूनिवर्सिटी के संबंधित विभागाध्यक्ष/डीन को प्रेषित किया जायेगा जिनके द्वारा उसकी गुणवत्ता की परख करने के बाद अपलोड करने हेतु अनुमोदन देते हुये कुलसचिव को अग्रसारित किया जायेगा। कुलसचिव अपनी आई0डी0 का उपयोग करते हुये उसे अपलोड करेंगें। अपना कन्टेन्ट registrarsuksn@gmail.com पर भेजे।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी विभाग में विभाग्ध्यक्ष उपलब्ध न होने की दशा में भी उपरोक्त प्रस्तर 2 (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। महाविद्यालय न होने की दशा में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा परखी जायेगी, उसको अपलोड किये जाने का अनुमोदन भी उन्ही के द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त कुलसचिव द्वारा अपलोड किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार सम्बन्धित से यह अपेक्षा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षक अकादमिक सत्यनिष्ठा का पालन इस प्रकार करेंगे कि साहित्य चोरी का आरोप न लगे। ई–कन्टेन्ट को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं कापीराईट अधिनियम का पूर्णतः पालन करते है, वह उक्त ई–कन्टेन्ट में यदि किसी विशेष पुस्तक, जर्नल इत्यादि के अंश लिये गये है, तो अनिवार्य रूप से ई–कन्टेन्ट के अन्त में संदर्भ के रूप में इनका उल्लेख किया जाये।

साथ ही उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी हेतु स्वघोषणा करनी होगी कि "यह सामग्री इ विशेष रुप से शिक्षण और सिखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये है आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सामाग्री के उपयोगार्थ इसे किसी ओर के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे ओर इसका व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिये ही करेंगे। इस ई--कन्टेन्ट में जो जानकारी की गयी है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है।"

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस लाइब्रेरी का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में ई–कन्टेन्ट छात्रों को उपलब्ध कराया जाना है। जो कि शासन की प्राथमिकता में है अतः आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उक्त कार्य कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक –/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनांक / /2020

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ।
2--निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
3-- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एवं बस्ती मंडल।
5– अधिष्ठाता-- वाणिज्य, विधि, शिक्षा, कला एवं विज्ञान को इस आशय से प्रेषित है कि अपने देख-रेख में ई--कन्टेन्ट निर्मित कराते हुए उनका परीक्षण कर आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें, जिससे पोर्टल पर अपलोड कर शासन को सूचित किया जा सके।
6– निजी सचिव,कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7-- सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– 969 / सत्तर–3–2020–8(23) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 | लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2020

विषय :उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई–कन्टेन्ट्स हेतु पोर्टल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु पूर्व में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विशेष योगदान करते हुये विभिन्न विषयों के ई–कन्टेन्ट्स विकसित किये गये हैं। वर्तमान के साथ–साथ भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा को सुगम बनाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग ई–कन्टेन्ट्स को एक केन्द्रीयकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को निर्देशित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अपने शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए ई–कन्टेन्ट्स की सूची तैयार कर लें तथा उनकी महत्ता / उपयोगिता की परख विभागाध्यक्ष / डीन द्वारा करा लें। इनमें विभिन्न माध्यमों यथा–पीडीएफ, वीडियो, आडियो एवं पावर प्वाइंट प्रजेण्टेशन इत्यादि में उपलब्ध ई–कन्टेन्ट्स शामिल किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर जो ई–केन्टेन्ट्स उच्च कोटि के पाए जाएं, उनकी सूची श्री संजय दिवाकर, उपनिदेशक रूसा (**ई–मेल–eportalup@gmail.com**) को 6 मई तक उपलब्ध कराई जाए। सूची में ई–कन्टेन्ट का विषय, मेटाडाटा आदि विवरण का उल्लेख किया जाए।

(2) उपरोक्तानुसार अन्तिमीकृत किये गये ई–कन्टेन्ट्स को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं कापीराईट अधिनियम का पूर्णतः पालन करते हों तथा ई–कन्टेन्ट्स में यदि किसी विशेष पुस्तक, जर्नल इत्यादि

का उल्लेख किया गया है तो अनिवार्य रूप से ई–कन्टेन्ट के अन्त में संदर्भ के रूप में इसका उल्लेख किया जाये।

(3) मेटाडॉटा तैयार करते समय विशेष रूप से विषय का नाम, टॉपिक का नाम, सब–टॉपिक का नाम, कोर्स का नाम, कोर्स का वर्ष विशेष रूप से इंगित किया जाये ताकि छात्र किसी भी माध्यम से सर्च कर वांछित मैटीरियल को प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पोर्टल विकसित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः अनुरोध है कि समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये ई–कन्टेन्ट्स की सूची 8 मई तक उपलब्ध कराए तथा आवश्यक डाटा भी अपने पास सुलभ तैयार रखें ताकि पोर्टल विकसित होते ही उन्हें अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या : 969 (1)/ सत्तर–3–2020–8(23)/2020

प्रतिलिपि श्री संजय दिवाकर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), इन्दिरा भवन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः 2165/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनांकः 02/05/2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/शिक्षक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय— उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई—कन्टेन्ट्स हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल हेतु ई—कन्टेन्टस आदि की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की निरन्तरता को बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षको द्वारा विशेष योगदान करते हुये विकंसित किये गये विभिन्न विषयों के ई—कन्टेन्ट्स आदि को एक केन्द्रीयकृत पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या— 969/सत्तर—3—2020—8(23)/2020 दिनांक 30.04.2020 के माध्यम से विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये है। (प्रति—संल्गन)

उक्त शासनादेश के कम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया शासनादेश में दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुरुप अपनी सूचना निम्नलिखित गूगल फार्म का प्रयोग करते हुये दिनांक 06.05.2020 तक आवश्यक रुप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

https://forms.gle/HnFpAB7B6reYkiVv8

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 2165/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनांक 02/05/2020
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1—निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2— कोडिंग प्रभारीको इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
3—सम्बन्धित पत्रावली।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिन:—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों के ऑनलाइन शिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बद्ध में आख्या

कोरोना महामारी के प्रसार एवं फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं परिसर स्थित समस्त शैक्षिक संस्थाओं को दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक बन्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 29 फरवरी 2020 से प्रारम्भ होकर 24.04. 2020 तक सम्पन्न होनी थी परन्तु दिनांक 18 मार्च, 2020 से परीक्षाएं एवं समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ शासन के निर्देशानुसार स्थगित कर दी गयी है।

लॉकडाउन की उक्त अवधि में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं परिसर के छात्र/छात्राओं को होने वाले शैक्षिक नुकसान से बचाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक 2129/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2020 दिनांक 31 मार्च 2020 द्वारा ई—लर्निग के माध्यम को अपनाकर विश्वविद्यालय द्वारा **ई—लर्निग** नामक पोर्टल का निर्मित किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षको का पंजीकरण कर यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके मोबाइल एवं ई—मेल पर प्रदान किया गया है, जिससे सम्बन्धित विषय के शिक्षक द्वारा अपनी आई0डी0 से ई—स्टडी मटेरियल पी0डी0एफ फाइल के रुप में अपलोड किया गया है, जो वर्तमान मे 252 व्याख्यान/टूटोरियल है, छात्रो के लिए **फ्री एक्सेस टू ऑल** है। इस पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में पठन—पाठन प्रारम्भ कराया जा चुका है।

विश्वविद्यालय परिसर स्थित वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आनलाइन शिक्षण तकनीक के माध्यम से शिक्षण कार्य विश्वविद्यालय के सभी शिक्षको द्वारा कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराया जा रहा है। विभाग के सभी शिक्षकों द्वारा आनलाइन सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाटसऐप ग्रुप एवं वीडियो, इत्यादि तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन कक्षायें संचालित करायी जा रही है।

सभी विषयों के शिक्षको द्वारा पाठ्यकम के प्रत्येक यूनिट जिसका कोर्स अभी तक पूर्ण नही हुआ है, उनका स्टडी मटेरियल तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है। सभी विषयों से सम्बन्धित स्टडी मटेरियल को पोर्टल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्माण किये गये है उनको संकलित कर एक नवीन पोर्टल **ई—कन्टेंट** नाम से बनाया गया है जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिनकी जानकारी छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालयों को कालेज लागिन तथा निरंतर सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, ई—कन्टेंट पोर्टल उपलब्ध कुछ लिंको का विवरण निम्नवत् है—

List of freely available massive open online course (MOOCs) and online resources for student's

1. **SWAYAM**
   https://swayam.gov.in/explorer
2. UGCMOOCS : A Vertical of Swayam
   http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/
3. E-Pathshala
   http://epathshala.nic.in/epathshala.php?id=Students&type=&ln=en
4. Swayamprabha
   https://www.swayamprabha.gov.in/
   There are 32 channels choose according to your subject and time.
5. National Digital Library of India
   https://ndl.iitkgp.ac.in/
6. E-ShodhSindhu: Consortium for Higher Education Electronics
   https://ess.inflibnet.ac.in/
7. Shodhganga : a reservoir of Indian theses @ INFLIBNET
   https://shodhganga.inflibnet.ac.in/

8. Vidwan
https://vidwan.inflibnet.ac.in/

List of freely available massive open online course (MOOCs) and online resources for Teachers

1. ARPIT
https://swayam.gov.in/explorer?category=ARPIT
2. E-Pathshala
http://epathshala.nic.in/epathshala.php?id=Teachers&type=&ln=en
3. National Digital Library of India
https://ndl.iitkgp.ac.in/
4. E-ShodhSindhu: Consortium for Higher Education Electronics: Research Articles
https://ess.inflibnet.ac.in/jccc.php
5. VIDWAN Portal (Expert Database and National Research Network)
https://vidwan.inflibnet.ac.in/

आवश्यकतानुसार सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विषय का एक व्हाटसऐप ग्रुप बनाते हुए पाठ्यक्रम से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ एवं स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान परिस्थियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में सचालित सभी पाठ्यक्रम को आनलॉइन शिक्षण तकनीकों के माध्यम से 15, मई, 2020 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। तदनुसार परिस्थितियॉ सामान्य होने पर परीक्षाएं सम्पादित कराने की कार्यवाही शासन के निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्पन्न की जायेगी।

दिनांक: 11.04.2020

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– 2110/सत्तर–3–2020–08(27)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ: दिनॉक 09 सितम्बर, 2020

विषय:– उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की मानक संचालन प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित 'उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी' ऑनलाइन ई–कन्टेन्ट पोर्टल को प्रयोगात्मक रूप से कियाशील कर दिया गया है।

2– ई–कन्टेन्ट को उक्त पोर्टल पर अपलोड करने की मानक संचालन प्रक्रिया

i. विश्वविद्यालय स्तर पर ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रक्रिया

समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा परखी जायेगी तथा अनुमोदन की दशा में कुलसचिव को अग्रसारित की जायेगी जिनके द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 से डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल पर उसे अपलोड किया जायेगा।

ii. महाविद्यालयों के स्तर पर ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया

(क) समस्त महाविद्यालयों में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा परखी जायेगी एवं अनुमोदित की जायेगी। तदुपरान्त प्राचार्य द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 का प्रयोग करते हुये उसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ख) महाविद्यालयों को लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त न होने तक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया निम्नवत् होगी:–

प्राध्यापक द्वारा विकसित ई–कन्टेंट को अपनी Affiliating University के संबधित विभागाध्यक्ष/डीन को प्रेषित किया जायेगा जिनके द्वारा उसकी गुणवत्ता की परख करने के बाद अपलोड करने हेतु अनुमोदन देते हुये कुलसचिव को अग्रसारित किया जायेगा। कुलसचिव अपनी लॉगिन आई0डी0 को उपयोग करते हुये उसे अपलोड करेंगे।

(ग) महाविद्यालय में किसी विभाग में विभागाध्यक्ष उपलब्ध न होने की दशा में भी उपरोक्त प्रस्तर 2(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष न होने की दशा में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा परखी जायेगी, उसको अपलोड किये जाने का अनुमोदन भी उन्हीं के द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त कुलसचिव द्वारा अपलोड किया जायेगा।

- <u>ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व</u>

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता परखने का तथा उसे अपलोड करने का अनुमोदन देने का अन्तिम दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/डीन का है। प्रदेश स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

3– <u>नोडल विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व</u>

(क) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अपलोड किए जा रहे ई–कन्टेन्ट को पाठ्यक्रम से मिलान करने का दायित्व नोडल विश्वविद्यालयों का होगा।

(ख) नोडल विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उस विषय के सभी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित सभी शीर्षकों का ई–कन्टेन्ट बन गया है। यदि किसी विषय/शीर्षक का ई–कन्टेन्ट नहीं बना है, तो वह इसकी सूचना सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे ताकि सभी विषय/शीर्षक के ई–कन्टेन्ट बन सके।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या– (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

For uploading the e-content on the centralized e-portal. The State University / Private University have been provided the UPDOADER's and MODERATOR's Login IDs respectively (UPLOADER_AISHE Code) and (MODERATOR_AISHE Code) with their password (High@123).

For Example for Dr. RML National Law University AISHE Code is U-0511

- MODERATOR's Login ID: MODERATOR_U-0511
- Password : High@123

- UPLOADER 's Login ID: UPLOADER _U-0511
- Password : High@123

If you have any technical issue for e-content portal for uploading of e-content. Please contact to :-

Admin Login
(Deptt. of HE)

1- Add University, College and create their login ID and PW
2- Add Stream, Subject, Class and Level
3- Objectionable eContent- Delete any eContent, Blacklist any Teacher, HEIs in case of objectionable econtent
4- Download report

University Login

1- Add teacher with subject
2- Select –Stream, Subject, Class, level to upload eContent
3- Fill required field
4- Upload eContent after screening to web portal

Nodal University Login

1- Download report of their allotted subject
2- Compare the uploaded eContent with the syllabus
3- Inform all Universities and colleges about the topic/title of the subject on which eContent needs to be developed

College Login

1- Add teacher with subject
2- Select –Stream, Subject, Class, level to upload eContent
3- Fill required field
4- Upload eContent after screening to web portal
5- Faculty -> College HoD -> vetting /approval-> Principal uploads

Interim provision (Till College HoDs become functional or Till a deptt. in a college does not have an HOD)

Colleges may send their contents to their affiliating universities for uploading. Universities are not supposed to issue any separate instructions in this regard.

Faculty -> **Affiliating University Dean/ HoD** -> vetting/approval -> Registrar uploads

For uploading the e-content on the centralized e-portal. The State University / Private University have been provided the UPDOADER's and MODERATOR's Login IDs respectively (UPLOADER_AISHE Code) and (MODERATOR_AISHE Code) with their password (High@123).

For Example for Dr. RML National Law University AISHE Code is U-0511

- MODERATOR's Login ID: MODERATOR_U-0511
- Password : High@123

- UPLOADER 's Login ID: UPLOADER _U-0511
- Password : High@123

If you have any technical issue for e-content portal for uploading of e-content. Please contact :-
Shri Hemant : 9984502147, Shri Rajesh Gangal, NIC : 9412733668
eportalup@gmail.com, Dr. Puneet Mishra, LU, 9415159146

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः 2172 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांकः 04 / 05 / 2020

सेवा में,

विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग—3,
उ0प्र0शासन, लखनऊ।

विषय— आनलॉइन ई—कन्टेन्ट के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिद्धार्थ महाविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 'ई–लर्निंग' नाम से एक पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसपर विभिन्न विषय के शिक्षकों विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के द्वारा तैयार 1201 स्टडी मटेरियल को अपलोड किया गया है। जिसे छात्र निशुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते है।

प्रमुख सचिव एवं शासन के आदेश के क्रम में 'ई—कन्टेन्ट' नाम का भी एक पोर्टल निर्मित किया गया है जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिंक का संकलन है जैसे—स्वयं, ज्ञान गंगा इत्यादि। पी—एच0डी0 के छात्रों के उपयोगार्थ एक पोर्टल विकसित किया जा रहा जो दिनांक 09.05.2020 को लाइव हो जायेगा, पोर्टल के माध्यम से छात्रों को उनके विषय के स्टडी मटेरियल एवं आनलाइन क्लासेस के लिए यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड भेजा जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अनुभाग—3 एवं निदेशालय को दिनांक—11.04.2020 को आख्या प्रेषित की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण हो रहे पोर्टल हेतु समस्त स्टडी मटेरियल अधिष्ठाता द्वारा परखा जा रहा है, जो दिनांक 6.05.2020 को ई—मेल के माध्यम से सूचिगत करके प्रेषित किया जायेगा।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांकः 2162 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांकः 01 / 05 / 2020

सेवा में,

अधिष्ठाता
कला संकाय / वाणिज्य संकाय / विज्ञान संकाय / शिक्षा संकाय / विधि संकाय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय— उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई—कन्टेन्ट्स हेतु केन्द्रीयकृत पोर्टल विकसित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या— 969 / सत्तर—3—2020—8(23) / 2020 दिनांक 30, अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम बनाये जाने हेतु वर्तमान के साथ—साथ भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षको द्वारा विकसित ई—कन्टेन्ट्स हेतु प्रदेश स्तर पर एक केन्द्रीयकृत पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है, तत्पश्चात इस केन्द्रीयकृत पोर्टल पर उच्च कोटि के ई—कन्टेन्ट्स को अपलोड किया जाना है, जो प्रदेश स्तर के समस्त छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु सुलभ होगा तथा वह आसानी से वांछित मैटीरियल को प्राप्त कर सकेगें। पोर्टल का निर्माण किये जाने हेतु मेटा डेटा की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के शिक्षको द्वारा विभिन्न विषयों के ई—कन्टेन्ट्स विकसित किये गये है, जिसकी सूची तैयार कर कन्टेन्टस की महता / उपयोगिता की परख किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया जो कन्टेन्टस पठन—पाठन की दृष्टि से उच्च कोटि के पाए जाएं, उनकी सूची अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 05 मई 2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे उक्त सूची शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 2162 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांक 01 / 05 / 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2—कोडिंग प्रभारी को इस आशय से कि उपरोक्त से सम्बन्धित डाटा अपने पास सुलभ तैयार रखे ताकि शासन द्वारा मांगे जाने पर अविलम्ब उपलब्ध कराया जा सके।
3—सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या– 2140 /सत्तर–3–2020–08(40)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 | लखनऊः दिनाँकः 10 सितम्बर, 2020

विषयः–उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी को सुदृढ़ करने हेतु माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को विद्यादान माह घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 राज्य में छात्रों के पठन–पाठन तथा शिक्षकों के शिक्षण कार्य को सुगम बनाये रखने तथा शिक्षा की गुणवत्ता उत्कृष्ट बनी रहे, के दृष्टिगत उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1511/सत्तर–3– 2020–08(27)/2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा एक केन्द्रीयकृत ई–कन्टेन्ट पोर्टल एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित किया गया है, जिस हेतु शिक्षकों/प्राचार्यों द्वारा माह जुलाई, 2020 से विहित प्रकिया द्वारा लगातार कण्टेन्ट तैयार किये जा रहें हैं।

2– ई–कन्टेन्ट पोर्टल दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को प्रयोगात्मक रूप से कियाशील कर दिया गया है, जो **उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी** के नाम से जाना जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छात्रों हेतु अधिक से अधिक ई–कन्टेन्ट उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से माह सितम्बर–अक्टूबर 2020 को विद्यादान माह के रूप में मनाएँ जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में ई–कण्टेंट्स और लर्निंग मैटीरियल तैयार करने हेतु प्रेषित किया जाए।

4– दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक पोर्टल पर अपलोड किये गये कुल ई–कन्टेन्ट के आधार पर संस्थानों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहित/पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(क) राज्य और निजी विश्वविद्यालयों की कैटेगरीः– सब से अधिक ई–कन्टेट अपलोड करने वाले 03 राज्य/निजी विश्वविद्यालय।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों की कैटेगरीः– अपने से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को अभिप्रेरित करते हुए उनसे अधिक से अधिक संख्या में ई–कन्टेन्ट अपलोड कराने वाले 03 राज्य विश्वविद्यालय।

(ग) महाविद्यालयों की कैटेगरी:– राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में से सब से अधिक संख्या में ई–कन्टेन्ट अपलोड करने वाले 07 महाविद्यालय।

(घ) नोडल विश्वविद्यालयों की कैटेगरी:– ई–कन्टेन्ट विकसित करवाने हेतु विषयवार चयनित नोडल विश्वविद्यालयों में से जिन्होंने चयनित किसी विषय में सबसे अधिक (कम से कम 70 प्रतिशत) ई–कन्टेन्ट अपलोड करवाए है, ऐसे 03 नोडल विश्वविद्यालय।

5– अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधिकाधिक ई–कण्टेन्ट उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करते हुए शासन को पाक्षिक प्रगति आख्या भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2140 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या– 2110/सत्तर–3–2020–08(27)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक 09 सितम्बर, 2020

विषयः– उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की मानक संचालन प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित 'उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी' ऑनलाइन ई–कन्टेन्ट पोर्टल को प्रयोगात्मक रूप से कियाशील कर दिया गया है।

2– **ई–कन्टेन्ट को उक्त पोर्टल पर अपलोड करने की मानक संचालन प्रकिया**

i. **विश्वविद्यालय स्तर पर ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया**

समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा परखी जायेगी तथा अनुमोदन की दशा में कुलसचिव को अग्रसारित की जायेगी जिनके द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 से डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल पर उसे अपलोड किया जायेगा।

ii. **महाविद्यालयों के स्तर पर ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया**

(क) समस्त महाविद्यालयों में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा परखी जायेगी एवं अनुमोदित की जायेगी। तदुपरान्त प्राचार्य द्वारा अपनी लॉगिन आई0डी0 का प्रयोग करते हुये उसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ख) महाविद्यालयों को लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त न होने तक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने की प्रकिया निम्नवत् होगीः–

प्राध्यापक द्वारा विकसित ई–कन्टेंट को अपनी Affiliating University के संबंधित विभागाध्यक्ष/डीन को प्रेषित किया जायेगा जिनके द्वारा उसकी गुणवत्ता की परख करने के बाद अपलोड करने हेतु अनुमोदन देते हुये कुलसचिव को अग्रसारित किया जायेगा। कुलसचिव अपनी लॉगिन आई0डी0 को उपयोग करते हुये उसे अपलोड करेंगे।

(ग) महाविद्यालय में किसी विभाग में विभागाध्यक्ष उपलब्ध न होने की दशा में भी उपरोक्त प्रस्तर 2(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष न होने की दशा में ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/डीन द्वारा परखी जायेगी, उसको अपलोड किये जाने का अनुमोदन भी उन्हीं के द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त कुलसचिव द्वारा अपलोड किया जायेगा।

- **ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व**

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता परखने का तथा उसे अपलोड करने का अनुमोदन देने का अन्तिम दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/डीन का है। प्रदेश स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

3– **नोडल विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व**

(क) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अपलोड किए जा रहे ई–कन्टेन्ट को पाठ्यक्रम से मिलान करने का दायित्व नोडल विश्वविद्यालयों का होगा।

(ख) नोडल विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उस विषय के सभी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित सभी शीर्षकों का ई–कन्टेन्ट बन गया है। यदि किसी विषय/शीर्षक का ई–कन्टेन्ट नहीं बना है, तो वह इसकी सूचना सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को उपलब्ध करायेंगे ताकि सभी विषय/शीर्षक के ई–कन्टेन्ट बन सके।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रकिया का फ्लो चार्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Admin Login
(Deptt. of HE)

1- Add University, College and create their login ID and PW
2- Add Stream, Subject, Class and Level
3- Objectionable eContent- Delete any eContent, Blacklist any Teacher, HEIs in case of objectionable econtent
4- Download report

University Login

1-Add teacher with subject
2-Select –Stream, Subject, Class, level to upload eContent
3-Fill required field
4-Upload eContent after screening to web portal

Nodal University Login

1- Download report of their allotted subject
2- Compare the uploaded eContent with the syllabus
3- Inform all Universities and colleges about the topic/title of the subject on which eContent needs to be developed

College Login

1-Add teacher with subject
2-Select –Stream, Subject, Class, level to upload eContent
3-Fill required field
4-Upload eContent after screening to web portal
5-Faculty -> College HoD -> vetting /approval-> Principal uploads

Interim provision (Till College IDs become functional or Till a deptt. in a college does not have an HOD)

Colleges may send their contents to their affiliating universities for uploading. Universities are not supposed to issue any separate instructions in this regard.

Faculty -> **Affiliating University Dean/ HoD** -> vetting/approval -> **Registrar** uploads

For uploading the e-content on the centralized e-portal. The State University / Private University have been provided the UPDOADER's and MODERATOR's Login IDs respectively (UPLOADER_AISHE Code) and (MODERATOR_AISHE Code) with their password (High@123).

For Example for Dr. RML National Law University AISHE Code is U-0511

- MODERATOR's Login ID: MODERATOR_U-0511
- Password : High@123

- UPLOADER 's Login ID: UPLOADER _U-0511
- Password : High@123

If you have any technical issue for e-content portal for uploading of e-content. Please contact :-
Shri Hemant : 9984502147, Shri Rajesh Gangal, NIC : 9412733668
eportalup@gmail.com, Dr. Puneet Mishra, LU, 9415159146

संख्या–2101 /सत्तर–3–2020–08(27)/2020टी0सी0

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः08 सितम्बर, 2020**

विषयः उ0प्र0उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन डिजिटल लाईब्रेरी में ई–कन्टेन्ट अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीयकृत पोर्टल पर उ0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग की डिजीटल लाइब्रेरी कियाशील हो चुकी है। ऑनलाइन डिजिटल लाईब्रेरी में ई–कन्टेन्ट अपलोड करने एवं इनके गुणवत्ता के निर्धारण के सम्बन्ध में समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा निम्नांकित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

(1) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के संकाय/विभाग द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेट की गुणवत्ता सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष /विश्वविद्यालय के डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा परख कर उसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को उपलब्ध कराया जायेगा, जो अपने लॉगिंग आईडी से इसे अपलोड करेंगे।

(2) ई–कन्टेन्ट की गुणवत्ता परखने का दायित्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय के डीन/विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) प्रत्येक विषय के लिए किसी एक विश्वविद्यालय नोडल नॉमित किया गया है, जो उस विषय के लिए नोडल कमेटी का गठन करेंगी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के स्लेबस/पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विषय के प्रत्येक टॉपिक के ई–कन्टेन्ट तैयार करने हेतु कार्यो का अनुश्रवण किया जायेगा।

(4) नोडल विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विषय पर तैयार किये गये ई–कन्टेन्ट को ई–पोर्टल पर परिवर्तित/फिल्टर नही करेंगे। यदि नोडल समिति के किसी सदस्य द्वारा कोई ई–कन्टेन्ट स्वेच्छा से बनाया जाता है, तब वह उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई–कन्टेन्ट को अपलोड करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

भवदीय

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

G.O.1685

संख्या–2101 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– श्री आर0एच0 खान, एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, लखनऊ।

2– श्री ए0पी0 सिंह, ए0एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, लखनऊ।

3– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

4– उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।

5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव।

G.O.IES

BEFORE UPLOADING E-CONTENT FOLLOWING DATA REQUIRED BY CONTENT CREATER

NAME OF TEACHER	
MOB. NO.	
E MAIL ID	
DESIGNATION	
UNIVERSITY NAME	
COLLEGE NAME	
STREAM NAME	
FACULTY NAME	
DEPARTMENT NAME	
SUBJECT NAME	
COURSE	
COURSE DURATION	
SUBTOPIC NAME	
CONTENT TYPE	
SEARCH KEYWORD	

(CONTENT CREATER/TEACHER)

संलग्नक-4

[illegible]ON UNIVERSITY/C[illegible]LEGE LETTER HEAD)

[illegible] for Intellectual Property Rights / Copy Right Handling

1. [illegible] shall follow copyright laws for any readings, [illegible] core and supplementary reading in case of [illegible] undertaking.
2. [illegible] animation, quiz etc.) developed will be the [illegible] Education, Uttar Pradesh(HE,UP)
3. [illegible] will be copyrighted to HE, UP. HE, UP [illegible] policies for access and charges, if any [illegible] appropriate Open Educational Resources [illegible] stakeholders.
4. [illegible] permission for creating books and other [illegible] commercial purposes with the explicit [illegible] Higher Education Department e-[illegible]
5. [illegible] should be [illegible] laid out so as to address the [illegible] by the [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] should be informed about the usage rights of [illegible] available [illegible] Portal.

समयब:
संख्या–2214/सत्तर–3–2020–08(27)/2

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनॉक: 17 सितम्बर, 2020**

विषयः–ई–कन्टेन्ट विकसित करने के लिए स्वघोषणा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सम्बन्ध में दिश निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1511/सत्तर–3–2020–08(27)/2020, दिनांक 29 जुला: 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–2 (5) में यह प्राविधान है ि ई–कन्टेन्ट को केन्द्रीयकृत ई–पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व शिक्षकों को पोर्टल पर Intellectu: Property/Property Right/Copy Right प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक 29 जुला: 2020 के प्रस्तर–2(5) में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त संदर्भित प्रस्तर–2(5) को विलोपित कि जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी हेतु स्वघोषणा करनी होगी ि "यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये है आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। साम के उपयोगार्थ इसे किसी ओर के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे ओर इसका व्यक्तिग ज्ञान की उन्नति के लिये ही करेंगे। इस ई–कन्टेन्ट में जो जानकारी की गयी है वह प्रमाणित है औ मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है।"

"The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancin teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictl prohibited. The users of the content shall not distribute, disseminate or share it wit anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. Th information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge."

यह स्वघोषणा डिजिटल लाइब्रेरी के प्रथम पृष्ठ पर (होम पेज के बाद) प्रदर्शित होगी।

3– यह स्पष्ट किया जाता है कि इस लाइब्रेरी का उददेश्य अधिक से अधिक संख्या में ई–कंटें छात्रों को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिये शिक्षकों द्वारा स्वयं सभी कंटेंट विकसित किये जा अनिवार्य नहीं हैं। शिक्षकों द्वारा अपलोड किये जा रहे कंटेंट मौलिक हो, यह आवश्यक नहीं है ओर ही उनके स्तर से किसी IPR/originality certificate की ही आवश्यकता है। शिक्षक सामन्यतः पुस्तव की सहायता से कक्षा में पढ़ाते हैं। उसी तर्ज पर इस लाइब्रेरी हेतु भी शिक्षक ई–कंटेंट उपलब्ध कर सकते हैं।

- इंटरनेट पर अनेक कंटेंट पूर्व से उपलब्ध हैं, जैसे NPTEL, MOOCS अथवा प्रतिष्ठित संस्थान की वेबसाइट पर अनेक विषयों के कंटेंट उपलब्ध हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों (अनुसार शिक्षक उक्त में से सटीक एवं उचित कंटेंट छांटकर छात्रों के हितार्थ ई लिं डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड कर सकते है। ई–कंटेंट पोर्टल का उददेश्य छात्रों को इंटरने पर उपलब्ध ई–कंटेंट के समुद्र में से सटीक एव सही जानकारी वाले ई–कंटेंट को एक ह स्थान पर उपलब्ध कराना भी है। इसीलिये शिक्षकों का दायित्व है कि वे सही जानकारी वा ई–कंटेंट का चयन कर उनके लिंक अपलोड करें।
- एक अध्याय/टॉपिक से संबंधित कई लिंक इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे हर लिं को अपलोड किया जा सकता है।
- यह ध्यान रखना अनिवार्य होगा कि unauthentic sources/website के लिंक अपलोड किये जाये।
- शिक्षक विभिन्न पुस्तकों में उपलब्ध सामग्री को रूचिकर ढंग से प्रस्तुत करते हुये अपने कंटे डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें ध्यान रखना होगा वि plagiarism जैसे विवाद उत्पन्न न हों, अतः उन पुस्तकों का संदर्भन उल्लिखित करना शिक्ष के लिये अनिवार्य होगा। यह कंटेंट शिक्षक द्वारा तैयार किये जायेंगे, इसका मौलिक होन अनिवार्य नहीं है, इसके लिये मौलिकता/आई0पी0आर0 प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य नहीं है शिक्षक किसी पुस्तक को आधार बनाकर कंटेंट को रूचिकर रूप मे प्रदर्शित कर सकता है, इर परिस्थिति मे उस पुस्तक को सन्दर्भित करना अनिवार्य होगा।
- कंटेंट की vetting एवं अनुमोदन करने वाले विभागाध्यक्ष/डीन का तथा कंटेंट अपलोड कर वाले रजिस्ट्रार का दायित्व होगा कि वह उपरोक्तानुसार संदर्भन किया जाना सुनिश्चित करें।
- यदि कोई शिक्षक स्वयं कोई कंटेंट पूर्णतः विकसित करता है और उसका IPR चाहता है, त उसे तदनुसार इंगित करना चाहिये।

4– यह अपेक्षा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षक अकादमिक सत्यनिष्ठा का पालन प्रकार करेंगे कि साहित्य चोरी का आरोप न लगे। ई–कन्टेन्ट्स को तैयार करते समय यह सुनिशि किया जाये कि वे बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं कापीराईट अधिनियम का पूर्णतः पालन करते हैं त उक्त ई–कन्टेन्ट्स में यदि किसी विशेष पुस्तक, जर्नल इत्यादि के अंश लिये गये है, तो अनिवार्य से ई–कन्टेन्ट के अन्त में संदर्भ के रूप में इनका उल्लेख किया जाये।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2215 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(RUSA)

(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 **Email**: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 1861/SPD/RUSA/382/ 20 दिनांक : 14.09.2020

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

विषय : ई–कन्टेन्ट्स की उपयोगिता/महत्ता की परख करने के उपरान्त भौतिक रूप से ई–कन्टेन्ट्स उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर, 2020 अपरान्ह् 12:00 बजे जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक गतिविधियों को सुगम तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये शिक्षकों द्वारा विकसित किये गये विभिन्न विषयों के ई–कन्टेन्ट्स को केन्द्रीयकृत डिजीटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को स्थानीय भाषा में शैक्षिक गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराया जाना है। तद्सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव महोदया, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से विकसित ई–कन्टेन्ट्स की उपयोगिता/महत्ता की परख करने के उपरान्त पीडीएफ फाइल में भौतिक रूप से ई–कन्टेन्ट्स को केन्द्रीयकृत डिजीटल लाइब्रेरी में अपलोड़ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15 सितम्बर, 2020 अपरान्ह् 12:00 बजे जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत ई–पोर्टल पर विश्वविद्यालय स्तर से विकसित ई–कन्टेन्ट्स की उपयोगिता/महत्ता की परख करने के उपरान्त पीडीएफ फाइल में भौतिक रूप से ई–कन्टेन्ट्स को केन्द्रीयकृत डिजीटल लाइब्रेरी में अपलोड़ किये जाने के सम्बन्ध में होने वाली जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने एवं विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं ई–कन्टेन्ट्स हेतु नामित नोड़ल अधिकारी को प्रतिभाग करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। जूम ऐप के माध्यम से होने वाली बैठक का विवरण निम्नवत् हैः–

लिंक :– https://us02web.zoom.us/j/82133584394?pwd=MVZETFplcDZtbVpLenJrQ0FOVlo0QT09
मीटिंग आई0डी0 :– 82133584394
मीटिंग पासवर्ड :– 427273

भवदीय,

Sanjay

(संजय कुमार दिवाकर)
उप निदेशक, रूसा

समस्त संकायाध्यक्ष
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर

कृ० उपरोक्त ऑनलाइन बैठक में समस्त तैयारी के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
14/9/2020
Registrar

Office Address: 651-652, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow (U.P.) 226001